न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

प्र०क्र० 939 ~~1070~~ /16 R 9262-पी.वी./16

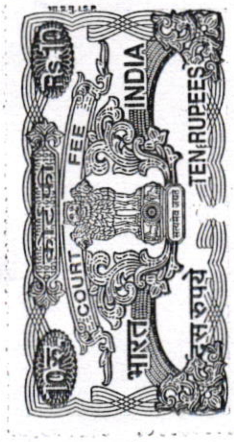

~~रेस्तोरेशन आवेदन~~

~~शिवपुरी~~

ठाकुरलाल पुत्र तोरनसिंह उम्र 45 निवासी ग्राम डाही तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म०प्र०

बनाम

श्रीमती इमरती बाई पत्नि मदन सिंह निवासी डाही तहसील कोलारस जिला शिवपुरी

विषय = 939/16 निगरानी पुन: रिकार्ड पर लिये जाने बावत

महोदय,

(1) यह कि, दि० 20/11/16 प्रार्थी का प्रकरण सुनवाई हेतु नियत था। चूंकि उपरोक्त दि० को रविवार अवकाश होने की वजह से प्रकरण 21/11/16 सोमवार को सुनवायी हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

587
23-11-16

(2) यह कि, उपरोक्त दि० को अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय मे व्यस्थ होने से प्रकरण मे माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके जिस कारण प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थित मे प्र०क्र० 939/16 खारिज कर दिया गया।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि कृपया प्रकरण को पुन: रिकार्ड पर लिये जाने की कृपा करे। ताकि प्रकरण का निराकरण गुणादोष पर किया जा सके।

दिनांक 23-11-16 को श्री विवेक द्वारा अभि० द्वारा प्रस्तुत।
23-11-16

प्रार्थी
ठाकुरलाल
द्वारा अभि०
विवेक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 9262–दो / 16 जिला –शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
28.11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री विवेक व्यास उपस्थित। उनके द्वारा रेस्टो0 आवेदन पर तर्क कर कहा कि वह माननीय उच्च न्यायालय में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके। अतः आवेदक अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण कमांक निगरानी 939–तीन/16 में किया गया आदेश दिनांक 21.11.16 को पुनः नंबर पर लिया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण क0 निग0 939–तीन/16 पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। यह रेस्टो0 आवेदन स्वीकार कर निराकृत किया जाता है। सदस्य	